पत्रांक–योजना बजट–234/2010 ____ ____ /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग।

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......../08/2016

विषय :– भवन योजना अन्तर्गत राइडिंग रोड, पटना स्थित नव निर्मित ''अरण्य भवन'' के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत ₹1510.88 लाख का संशोधित प्राक्कलित राशि ₹1982.85 लाख के योजना की वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य एजेंसी आयडा को उक्त अन्तर राशि ₹471.97 लाख (चार करोड़ एकहत्तर लाख सनतानवे हजार ₹) का भुगतान किये जाने हेतु भवन योजनान्तर्गत निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भवन योजनान्तर्गत राइडिंग रोड, पटना स्थित नव निर्मित ''अरण्य भवन'' के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत ₹1510.88 लाख का संशोधित प्राक्कलित राशि ₹1982.85 लाख के योजना की वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत करते हुए कार्य एजेंसी आयडा को उक्त अन्तर राशि ₹471.97 लाख (चार करोड़ एकहत्तर लाख सनतानवे हजार ₹) का भुगतान किये जाने हेतु भवन योजनान्तर्गत निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नवनिर्मित ''अरण्य भवन'' के निर्माण कार्य के लिए विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या–2500 दिनांक–07.08.2012 द्वारा स्वीकृत ₹1510.88 लाख (पंद्रह करोड़ दस लाख अठासी हजार ₹) मात्र के आलोक में कार्य सम्पादित किये जाने के क्रम में राशि कम पड़ जाने के कारण कार्य एजेंसी IDA द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना का संशोधित प्राक्कलन ₹1982.85 लाख करते हुए अन्तर राशि की आवश्यकता बतायी गयी। फलस्वरूप कार्य को पूर्ण करने के दृष्टिपथ में उक्त अन्तर राशि ₹471.97 लाख कार्य ऐंजसी आयडा को भुगतान हेतु यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–070–संचार तथ भवन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–01 02–भवन, विपत्र कोड–पी4406010700102 के विषय शीर्ष– 27 01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि में से मात्र ₹50.00 लाख (पचास लाख) की ही निकासी की जायेगी तथा शेष राशि की निकासी प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से होगी।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना होंगे तथा संबंद्ध कोषागार, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से इस राशि की निकासी कर उनके द्वारा कार्यकारी एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० लेखा (PLA) संख्या–268 में जमा किया जायेगा।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–07.09.215 की कार्यवाही ज्ञापांक–2688 दिनांक–07.09.2015 द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा एवं संचिका के पृष्ठ–123/टि० पर दिनांक–31.03.2016 को माननीय वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

5. वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के कारण स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं होने के फलस्वरूप विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–20.07.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक–4119 दिनांक–21.07.2016 द्वारा पुनः स्वीकृति की अनुशंसा के आलोक में माननीय वित्त मंत्री द्वारा पूर्व की स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु संचिका के पृष्ठ–133/टि० पर दिनांक–05.08.2016 को वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त है।

6. प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–135/टि० पर दिनांक–16.08.2016 का आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–234/2010 4403 **/प०व० पटना–15, दिनांक–17/08/2016**

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी०(मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/8/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव